

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
किशनगंज, अररिया, मुंगेर, नवादा, शिवहर, भोजपुर,  
शेखपुरा, नालन्दा, पूर्णिया एवं अरवल।

डिक्स  
ई-मेल

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व -104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल- 1,15,00,000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

पटना-15, दिनांक-.....

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-200(10)रा0 दिनांक-20.03.2017 के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन पर होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु 1301-कार्यालय व्यय मद में कुल-1,15,00,000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है:-

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	किशनगंज	9,37,000/-	9,37,000/-
2	अररिया	10,00,000/-	10,00,000/-
3	मुंगेर	7,51,000/-	7,51,000/-
4	नवादा	13,68,000/-	13,68,000/-
5	शिवहर	6,80,000/-	6,80,000/-
6	भोजपुर	14,67,000/-	14,67,000/-
7	शेखपुरा	7,45,000/-	7,45,000/-
8	नालन्दा	19,56,000/-	19,56,000/-
9	पूर्णिया	18,29,000/-	18,29,000/-
10	अरवल	7,67,000/-	7,67,000/-
	कुल	1,15,00,000/-	1,15,00,000/-

(एक करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी एवं राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

3. राशि का आवंटन वित्त विभागीय विपत्र संख्या-2561 वि०/2 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग(बजट) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 53-(5)...../रा०, पटना-15, दिनांक- 23-03-17  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी०मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।